न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 06/13 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2013/00043

उनवान

1. श्रीमती आईशा वेवा स्व0 कदीर जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
2. शकील
3. अकील
4. वकील

} पुत्रगण स्व0 कदीर जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया कोठी धौलपुर।

5. आसिफ नाबालिग पुत्र कदीर सरपरस्ती मॉ आईशा जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया कोठी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
6. लल्लो पुत्री स्व0 कदीर पत्नि बाबू खॉ जाति मुसलमान निवासी तलैया मौहल्ला धौलपुर।
7. शकीला पुत्री स्व0 कदीर जाति मुसलमान निवासी तलैया मौहल्ला धौलपुर।
8. भूरी पुत्री स्व0 कदीर जाति मुसलमान निवासी तलैया मौहल्ला धौलपुर।
9. रूकशाद पुत्री स्व0 कदीर जाति मुसलमान निवासी तलैया मौहल्ला धौलपुर।
10. रफीक पुत्र श्री वशीर जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
11. अलीम पुत्र वशीर खॉ जाति मुसलमान निवसी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
12. छोटे पुत्र वशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
13. श्रीमती शायदा पत्नि सली जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
14. रीना पुत्री सलीम जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
15. शरीफ पुत्र श्री सलीम जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
16. रूबी पुत्री श्री सलीम जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
17. रूबीना पुत्री सलीम जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया धौलपुर।
18. हाजिरा पुत्री वशीर खॉ पत्नि निशार खॉ जाति मुसलमान निवासी अलापुर तहसील मुरैना (म0प्र0)
19. रूकसाना पुत्री वशीर खॉ पत्नि श्री मजीद खॉ जाति मुसलमान निवासी फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मजीत पुत्र कल्लू खॉ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया कोठी धौलपुर।
2. बददू
3. कल्ला
4. चुग्गो
5. बाबू खॉ

} पुत्रगण कल्लू खॉ जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तलैया कोठी धौलपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

भरतपुर कैम्प धौलपुर

6. श्रीमती शकूरन वेवा अहमद खॉ (मृत दौराने वाद)
7. शरीफ
8. महबूब
9. मकसूद
10. मकबूल

पुत्रगण अकमद खॉ जाति मुसलमान नि0 मौहल्ला बटवाल पाडा कस्बा बाडी जिला धौलपुर।

11. मासूम (मृत दौराने अपील)
    - 11/1. मु0 लाईका वेवा स्व0 मासूम
    - 11/2. आमेर
    - 11/3. शाहरूख
    - 11/4. रहीम
    - 11/5. आरव
    - 11/6. शाजिया
    - 11/7. सोफिया
    - 11/8. शिमायला

    पिस0 मासूम नि0 मौहल्ला पाडा बाडी कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

12. हाजिरा पुत्री अहमद खॉ जाति मुसलमान निवासी ढोलीखाल करौली जिला करौली।
13. साबिरा पुत्री अहमद खॉ पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी बेलनपाडा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
14. नजमा पुत्री अहमद खॉ जाति मुसलमान निवासी बटवाल पाडा कस्बा बाडी जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

15. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी वहैसीयत लैण्ड होल्डर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दि0 22.01.2013 मि.नं. 03/09 उनवानी आईशा बनाम मजीत।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अशोक सक्सैना उपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

के खातेदार काश्तकार करामत खॉ व अहमद खॉ वहिस्सा बराबर थे। करामत खॉ के तीन पुत्र बसीर खॉ, कल्लू खॉ, नवाद खॉ हुये। कल्लू खॉ ने अपने पिता करामत खॉ से साजिस कर विवादित आराजी के संबंध में एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नं0 2 धौलपुर में दायर कर वादीगण अपीलाण्ट के मूरिस बसीर खॉ की विना जानकारी के फर्जी तौर पर बरूये राजीनामा डिक्री करा लिया इस वाद में पिता करामत खॉ द्वारा एक तहरीर पुत्र कल्लू के पक्ष में लिखा होना तथा राजीनामा से अपने हिस्से 1/2 की आराजी को वादी के पक्ष में अंकित किया जाना अंकित किया। करामत खॉ के अन्य दो पुत्र बसीर खॉ व नवाब खॉ भी मौजूद थे तब करामत खॉ को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी तहरीर के माध्यम से आराजी को दे सकते। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी 2040, 2698, 2720 में वादी अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 09 को हिस्सा 1/7, 10, 11, 12, 18, 19 को हिस्सा 5/7, 13 लगातयत 17 को हिस्सा 1/7 अन्दर हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी 01 लगायत 5 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 14 को हिस्सा 1/2 एवं आराजी खसरा नम्बर 3150, 3152 में वादी संख्या 01 लगायत 09 को हिस्सा 1/7, वादी संख्या 10, 11, 12, 18, 19 प्रत्येक को 5/7 तथा वादी संख्या 13 लगायत 17 को हिस्सा 1/7 अन्दर हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 14 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कियां गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि सन् 1978 में कल्लू खॉ ने अपने पिता करामत खॉ एवं चाचा अहमद खॉ के विरूद्ध घोषणा का दावा किया उक्त दावे में अपने भाई वसीर खॉ को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया ना ही उन्हें कोई सुनवाई का मौका दिया एवं अपने पक्ष में डिक्री करा लिया। डिक्री के बाद सन् 1987 में चाचा अहमद खॉ से राजीनामा के आधार पर विवादित आराजी में 1/2 पूर्व की डिक्री घोषणा के आधार पर एवं 1/2 वसीयत के आधार पर बॅटवारा करा लिया। उक्त दावे में वसीयत को साबित नहीं कराया जबकि वसीयत को साबित कराना आवश्यक है। इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप, तनकीवार तार्किक है। यह है कि

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर दावा प्रस्तुत किया है। मुस्लिम विधि के अनुसार मृत्यु से पूर्व कोई व्यक्ति अपनी आराजी को किसी को कभी भी दे सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में तो सभी कार्यवाही राजीनामा के आधार पर तय हुयी हैं। वसीर खॉ एवं नवाव खॉ पूर्ववती दावो में पक्षकार मुकदमा रहे हैं। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी रही हो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वादी अपीलाण्ट ने ना तो सन् 1978 की डिक्री को निरस्त कराया एवं ना ही कोई अपील ही की। बॅटवारे का दावा 1987 में आया वह भी राजीनामा से ही डिक्री हुआ उक्त दावे में अपीलाण्ट के पिता वसीर खॉ, नवाव खॉ बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा थे एवं उन्होनें राजीनामा से स्वीकृति दी। वसीर खॉ एवं नवाव खॉ ने अपने जीवन में उक्त डिक्री को कही भी चुनौती नहीं दी गयी। राजीनामा न्यायालय से प्रमाणित है एवं उक्त राजीनामा पर वसीर खॉ ने हस्ताक्षर मौजूद हैं। अतः अपीलाण्ट उक्त राजीनामा/डिक्री से प्रतिबंधित हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त हो। ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2012 पेज 152, 2013 पेज 29, 2023(3) पेज 1203, 2023(1) पेज 275, 2023(4) पेज 1436, एआईआर 2000 पेज 3567, 1982 पेज 91, मुस्लिम लॉ धारा 51, 52 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित सात तनकीयॅा कायम की गयी हैं। वादी अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। वादीगण अपीलाण्ट का कथन है कि कल्लू खॉ ने साजिस रचकर धोखे से करामत खॉ से बगैर जानकारी वसीर खॉ व नवाव खॉ अपने हक में डिक्री करा ली। राजीनामा व वसीयत को साबित नहीं कराया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी बाबत् पूर्व में सन् 1978 में वाद चला, जो राजीनामा से विवादित आराजी पर कल्लू खॉ को खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा उसके बाद एक वाद विवादित आराजी के बॅटवारे का सन् 1987 में चला वह भी राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ। यदि सन् 1978 का दावा कल्लू खॉ ने साजिसन डिक्री कराया तो वादी अपीलाण्ट ने उक्त डिक्री को चुनौती क्यों नहीं दी गयी। तत्पश्चात् उनके समक्ष बॅटवारे के दावे में भी एतराज प्रस्तुत करने का अवसर था। परन्तु उनके द्वारा उक्त दोनों दावो को ना तो चुनौती दी गयी एवं ना ही कोई एतराज ही प्रस्तुत किया एवं पुनः नये सिरे से विवादित आराजी को लेकर दावा प्रस्तुत कर दिया, जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। हम यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि बॅटवारे के दावे में वशीर खॉ व नवाब खॉ दोनों पक्षकार मुकदमा हैं एवं उक्त दावा भी राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ है एवं वशीर खॉ व नवाव खॉ की पहचान भी उनके अभिभाषक द्वारा की जाकर न्यायालय ने

उसे पढकर सही व सत्य होना स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया है एवं वशीर खॉ व नवाब खॉ ने अपने जीवनकाल में उक्त राजीनामा अथवा डिक्री को कोई चुनौती नहीं दी गयी है एवं ना ही कोई अपील ही प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के प्रश्नगत राजीनामा से प्रतिबंधित है। उक्त डिक्रीयों के रहते वादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं बनते हैं। क्योंकि वह अपने पूर्वजो द्वारा पूर्व दावो में की गयी चाराजोही से पाबन्द हैं। प्रकरण में वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कब्जा सिद्ध करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट अपने वाद पत्र की मद संख्या 3 में स्वयं अहमद खॉ के पक्ष में हुयी डिक्री को सही मानते हैं एवं उनके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना अंकित करते हैं। अतः वह कही तक उक्त डिक्री को सही होना स्वीकारते हैं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि जब कोई डिक्री किसी न्यायालय की है तो उसे जब तक निरस्त नहीं करा दिया जाता तब तक नया दावा उसी आराजी पर किये जाने से दो डिक्रीयॉ अस्तित्व में आ जावेगी। इस प्रकार बिना पूर्व की डिक्री निरस्त कराये नया दावा लाना विधि अनुसार वर्जित है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपीलाण्ट, अधीनस्थ न्यायालय में अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2013 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर